

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, एटा**

पत्रांक : 3035 / 8c

दिनांक : 20-9-15

सेवा में,

जिलाधिकारी,
एटा।

विषय : उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा-6 के अन्तर्गत जनपद एटा में मौजा शहनौआ के गाटा संख्या-718 टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-31) के किमी0-35 (चैनेज 34.792) में मार्ग के बांयी ओर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक 749/न्याय सहायक दिनांक 01.08.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, संजय पैलेस, आगरा को मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्र संख्या-14686/116सी-आ0क्षे0/15 दिनांक 24.09.2015 के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक RW/NH-33023-19/99-DO-III दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.2003 में दी गयी गाइडलाइनों एवं शर्तों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें :-

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने हैं।
 2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
 3. आवेदन के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट-1945 की धारा 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक का उत्तरदायित्व होगा।
 4. प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका की सीमा के बाहर है।
 5. प्रस्तावित स्थल टूण्डला एटा मार्ग (राज्य मार्ग-31) के किमी0-35 (चैनेज-34.792 किमी0) के बायीं ओर पड़ता है।
 6. प्रस्तावित निर्माण कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
 7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिये 01 किमी0 की दूरी पर सर्विस वेरियर नहीं है।
 8. बफर स्ट्रिप 12.00मीटर लम्बाई एवं 03मीटर चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई (सामने 11.50 मीटर है)।
 9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड संख्या-12-2009 के अनुसार किया जाये।
 10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण मार्ग की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 22.87 मीटर पम्प 32.07 मीटर, 38.57, 45.07 मीटर एवं भवन निर्माण 45.79 मीटर की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित है।
- क. आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मानचित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विंशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 15 वर्षों के लिये लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (एनेक्चर-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है। एग्रीमेन्ट की फीस समक्ष अधिकारी से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त जमा करा ली जायेगी। प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
- ख. आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व उपरान्त मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध न होने पाये।
- ग. आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग पर नहीं आना चाहिए एवं नाली को बन्द नहीं किया जायेगा।
- घ. फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.50 मी0 नीचा रखा जायेगा।

Outlets Tundla Etah Road (SH-31) Km.-35 Chainge – 34.792

16	Minimum downward slope of access roads towards the fuel station	2%	Minimum 2%	Yes/no
17	Difference in elevation from edge of road and edge of buffer strip	30cm	Minimum 15cm	Yes/no ✓
18	Provision of Culvert designed for drainage according to I.R.C.S.P.-13	1m span Hume pipe culvert	Minimum 1m die (pipe culvert) Minimum 1m span (slab culvert)	Yes/no ✓
19	Provision of proper drainage arrangement for fuel station premises	As per drawing	Drawing showing drainage arrangement as per satisfaction of highway authorities to be submitted	Yes/no ✓
20	Provision of proper drainage signs and markings as per the drawing	As per drawing	Minimum requirement as shown in the Drawing	Yes/no

If norms are not satisfied, detailed explanation needs to be given, otherwise the application will not be considered. In all supporting documents as per Annex. I have to be submitted; otherwise the case will be summarily rejected.

[Signature]
13/9/15
एम०के० ठाकुर
अध्यक्ष अभियन्ता
प्र०ख०लो०नि०वि०, एटा

[Signature]
19/12/15
अधिवक्ता अभियन्ता
प्रान्तीय सड़क लो नि वि
एटा

[Signature]
21/9/15
(वी० डी० शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता
अलीगढ़ वृत्त लो० नि० वि०
अलीगढ़
22.9.15